प्रेस नोट, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर, दिनांक 08.09.2021

बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार एवं अपहृता को सकुशल बरामद किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराध के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्ग दर्शन में व थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना रामगढताल पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 364/2021 धारा 363, 366 भादवि से संबंधित अपहृता की बरामदगी हेतु उ0नि0 विजय कुमार यादव, उ0नि0 राहुल दूबे मय हमराह पुलिस टीम को लगाया गया था । उ0नि0 विजय कुमार यादव, उ0नि0 राहुल दूबे मय हमराह का0 अवधेश कुमार यादव व म0का0 सुनीता तिवारी अपहृता की तलाश हेतु क्षेत्र में मामूर होकर चेकिंग कर रहे थे कि तभी जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमे से संबंधित अपहृता व मुकदमे में वांछित अभियुक्त पैडलेगंज बस स्टैंड के पास हैं व कहीं जाने की फिराक में है । इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 राहुल दूबे मय पुलिस टीम के पैडलेगंज बस स्टैंड पर पहुँचकर वहाँ खड़े अभियुक्त को पकड़ लिये एवं अपहृता को म0का0 सुनीता तिवारी द्वारा अपने कब्जे में लिया गया । जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो लड़के ने अपना नाम हरि कुमार चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी इंद्रा नगर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बताया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए आज दिनांक 08.09.2021 को समय करीब 11.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

हरि कुमार चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी इंद्रा नगर थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी हई का विवरण

मु0अ0सं0- 364/2021 धारा 363/366/376 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी/बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. चौकी प्रभारी नौकायान उ0नि0 विजय कुमार यादव, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री राहुल दूबे, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
2. का0 अवधेश कुमार, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
3. म0का0 सुनीता तिवारी, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।